हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (झारखण्ड राज्य), खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (राजस्थान राज्य), मलांजखण्ड ताम्र परियोजना (मध्य प्रदेश राज्य) एनं तालोजा ताम्र परियोजना (महाराष्ट्र राज्य) जैसी एचसीएल की विभिन्न इकाइयों में खनन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल आदि से संबंधित प्रमुख खनन, निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों एवं स्तरों के कार्यों के अनुभवी तथा साधन-सम्पन्न ठेकेदारों से निर्धारित फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म एचसीएल के वेबसाइट www.hindustancopper.com (सिविल ठेकेदारों के लिए संदर्भ 'पार्ट - क' तथा सिविल के अलावा अन्य सभी के लिए संदर्भ 'पार्ट - ख')। इच्छुक पार्टियाँ / फर्मों से अनुरोध है कि उपयुक्त फॉर्म को डाउनलोड करके, सही तरह से भर के, सम्बंधित इकाई प्रमुख के पते पर (नीचे दिए गए) जमा कर दें। यह पूरी तरह से केवल एचसीएल के उपयोग के लिए होगा। केवल फॉर्म भर देने का अर्थ यह नहीं होगा कि एचसीएल उस ठेकेदार को पंजीकृत करने को बाध्य है। पंजीकरण के लिए एचसीएल की सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।

<u>इकाई प्रमुखों के पते</u>

कार्यपालक निदेशक
मलांजखण्ड ताम्र परियोजना
पोस्ट - मलांजखण्ड
जिला - बालागढ़ (म.प्र.)
481116

महाप्रबंधक
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स
पोस्ट - खेतड़ीनगर
जिला - झुनझुनूं (राजस्थान)
333504

महाप्रबंधक
इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
पोस्ट - मउभण्डार, घाटशिला
जिला - पूर्व सिंहभूम (झारखण्ड)
832303

सहायक महाप्रबंधक
तालोजा ताम्र परियोजना
प्लॉट नं. ई-33 से ई-36, एमआईडीसी क्षेत्र
पोस्ट - तालोजा, जिला - रायगढ़ (महाराष्ट्र)
410208

पार्ट - 'क' (सिविल कार्य)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में सिविल ठेकेदारों / फर्मों के

पंजीकरण के नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदारों / फर्मों का श्रेणीकरण कार्यों की निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार किया जाएगा :-

i) हेवी इंडस्ट्रियल रीइन्फोर्स्ड सीमेन्ट कांक्रीट तथा / अथवा स्टील स्ट्रक्चरल्स।

ii) आवासीय / सार्वजनिक भवनों, आंतरिक बिजलीकरण एवं सड़कों सहित।

iii) सैनिटरी एवं जल-आपूर्ति।

iv) टाउनशिप के भवनों एवं सड़कों तथा बाग-बागीचों की मरम्मत एवं अनुरक्षण।

v) फर्नीचर एवं आंतरिक सज्जा।

vi) विशेष कार्य, जैसे कि - एन्टि-कोरोज़िव पेन्टिंग, इन्सुलेशन, एसिड रेजिस्टिंग टाइल लाइनिंग आदि।

2. ठेकेदारों / फर्मों का श्रेणीकरण उपरोक्त कार्यों के लिए निम्नानुसार किया जाएगा :-

i) वर्ग - I - उपरोक्त क्रमांक (i) के तहत किसी भी प्रकार के, किसी भी मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

ii) वर्ग - II - उपरोक्त क्रमांक 1 के (i) , (ii), (iii) एवं (iv) के तहत किसी भी प्रकार के, प्रति श्रेणी अधिकतम रु. 10 लाख मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

क्रमांक 1 के (v) के तहत किसी भी एक कार्य हेतु अधिकतम रु. 3 लाख मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

क्रमांक 1 के (vi) के तहत किसी भी एक कार्य हेतु अधिकतम रु. 3 लाख मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

iii) वर्ग - III - उपरोक्त क्रमांक (i) , (ii), (iii) एवं (iv) के तहत किसी भी प्रकार के, प्रति श्रेणी अधिकतम रु. 3 लाख मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

iv) वर्ग - IV - उपरोक्त क्रमांक 1 के (i) , (ii), (iii) एवं (iv) के तहत किसी भी प्रकार के, प्रति श्रेणी अधिकतम रु. 50 हजार मूल्य के कार्य हेतु निविदा देने के योग्य।

टिप्पणी :-

उपरोक्त क्रमांक 1 के (i) एवं 1 (iv) के तहत किसी भी कार्य के लिए टेकेदारों / फर्मों का पंजीकरण नहीं होगा।

यदि कम्पनी के प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तो विभिन्न दर्जों में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को इकाइयों की अनुसूचित दरों पर कार्य करने की रुचि इंगित करनी होगी।

3. <u>एक वर्ष के बाद पंजीकरण समाप्त हो जाएगा।</u> योग्यता समाप्ति की तिथि से पहले ही ठेकेदारों / फर्मों का दायित्व होगा कि वो पंजीकरण का नवीकरण करवा लें।

4. पंजीकरण करने का यह अर्थ नहीं कि कोई ठेका अवश्य दिया जाएगा।

5. रु. 3.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों की निविदा सूचनाएँ (ओईएम के अलावा) कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी तथा इनकी प्रतिलिपि पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को भेजी जाएंगी। पंजीकृत

ठेकेदारों / फर्मों से अनुरोध है कि वे भी नियमानुसार कम्पनी की वेबसाइट पर जाया करें ताकि उन्हें नवीनतम सूचनाएँ मिलती रहें। पर, रु. 10.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों की निविदा सूचनाओं को (ओईएम के अलावा), एनआईटी को भी कम्पनी की वेबसाइट के अलावा चुनिंदा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे अपने से संबंधित विभागों (संबंधित इकाइयों के) की सूचनाओं या निविदाओं से सम्पर्क बना कर निविदाओं की जानकारी बनाए रखें। किसी भी पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को निविदा सूचना नहीं मिलने पर कम्पनी किसी भी प्रकार की शिकायत की सुनवाई नहीं करेगी।

6. किसी भी निविदा को जमा देते समय, पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को अपनी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना चाहिए।

7. पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों की संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में कम्पनी को तत्काल बताएँ।

8. यदि पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों का निष्पादन संतोषप्रद नहीं हो, तो उनका पंजीकरण कम्पनी द्वारा निरस्त / परिवर्तित किया जा सकता है।

9. पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को अपने आवेदन के साथ ठीक पिछले वर्ष की आयकर अनुमति-पत्र को भी जमा करना होगा।

10. प्रत्येक वर्ष पंजीकरण के नवीकरण हेतु, पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को ठीक पिछले वर्ष की आयकर अनुमति-पत्र को जमा करना होगा। यदि किसी कारण से यह सम्भव नहीं तो, तो पर्याप्त कारण बताने होंगे तथा उन पर विचार कर पंजीकरण के नवीकरण पर विचार किया जाएगा।

11. किसी भी ठेकेदार / फर्म को एक ही स्वामित्व अथवा साझेदारी के तहत एक से अधिक नामों में पंजीकृत नहीं किया जाएगा तथा उन्हें इस बात का घोषणा-पत्र जमा करना होगा कि वे किसी अन्य नाम से यहाँ पंजीकृत नहीं हैं/ होंगे।

12. अनुमोदित ठेकेदारों की सूची की समय-समय पर समीक्षा होगी तथा असंतोषप्रद ठेकेदारों का नाम सूची में से हटाया जाएगा।

13. पंजीकरण शुल्क :- ठेकेदारों / फर्मों को निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क अपने आवेदनों के साथ-साथ डीडी / पे ऑर्डर या फिर नकद द्वारा जमा करना होगा :-

i) वर्ग -I के तहत ठेकेदार / फर्म : रु. 500/- (रु. पाँच सौ)

ii) वर्ग -II के तहत ठेकेदार / फर्म : रु. 300/- (रु. तीन सौ)

iii) वर्ग -III के तहत ठेकेदार / फर्म : रु. 200/- (रु. दो सौ)

iv) वर्ग -IV के तहत ठेकेदार / फर्म : रु. 100/- (रु. एक सौ)

पंजीकरण शुल्क का भुगतान किसी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक के डी.डी. / पे-ऑर्डर द्वारा पंजीकरण हेतु इच्छित सम्बंधित इकाई के नाम पर निम्नानुसार करना होगा।

<u>खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) राजस्थान :</u> हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, खेतड़ीनगर (शाखा कोड सं. 1133) या इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कोहिलान नगर (शाखा कोड सं. 481) में भुगतान-योग्य

इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी) झारखण्ड : हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मउभण्डार में भुगतान-योग्य।

मलांजखण्ड ताम्र परियोजना (एमसीपी) मध्य प्रदेश : हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, मलांजखण्ड में भुगतान-योग्य।

तालोजा ताम्र परियोजना (टीसीपी) महाराष्ट्र : हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, तालोजा ताम्र परियोजना के नाम पर, पन्वेल / मुंबई में भुगतान-योग्य।

यदि भुगतान नकद द्वारा हो, तो इसे संबंधित इकाई के वित्त विभाग में जमा करके रसीद लें।

यदि किसी कारण से किसी ठेकेदार / फर्म का पंजीकरण आवेदन की श्रेणी से एक श्रेणी कम में पंजीकृत ना हो या फिर ना की जा सकी हो, तो पंजीकरण की रकम या पंजीकरण की रकम में अंतर को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा।

पंजीकरण के वार्षिक नवीकरण के लिए ठेकेदारों / फर्मों को नवीकरण के आवेदन के साथ-साथ पंजीकरण की रकम का 50% भी जमा करना होगा। यदि किसी कारण से कभी पंजीकरण के निरस्त होने पर पंजीकरण रकम वापस नहीं होगी।

14. सभी ठेकेदारों / फर्मों को अपने द्वारा भरी गई निविदाओं में उल्लिखित के अनुसार अग्रिम रकम जमा करना चाहिए। जमानत राशि को ठेकेदारों / फर्मों के आरए बिलों में से निविदा में उल्लिखित तरीके से काट लिया जाएगा। निविदा के अनुसार जमा अग्रिम धन संबंधित कार्य के लिए जमानत राशि का एक अंश होगा। जमानत राशि की वापसी भी निविदा में उल्लिखित तरीके से की जाएगी।

15. **अग्रिम धन से छूट :** ठेकेदार / फर्म, पंजीकरण होने पर, निम्नलिखित रकमों को संबंधित इकाई में आवश्यक बॉण्ड के साथ जमा करा सकते हैं, ताकि अग्रिम धन को बारबार जमा करने से छूट मिल सके :

i)	वर्ग -I	:	रु. 20000/- (रु. बीस हज़ार मात्र)
ii)	वर्ग -II	:	रु. 10000/- (रु. दस हज़ार मात्र)
iii)	वर्ग -III	:	रु. 3000/- (रु. तीन हज़ार मात्र)
iv)	वर्ग -IV	:	रु. 1000/- (रु. एक हज़ार मात्र)

16. एचसीएल का कार्य लेने पर, विभिन्न दर्जों में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को अपनी संस्था में निम्नलिखित तरीके से तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी :

i)	रु. 10.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्य हेतु	:	एक स्नातक इंजीनियर
ii)	रु. 3 से 10 लाख मूल्य के कार्य हेतु	:	एक डिप्लोमाधारी
iii)	रु. 3 लाख तक मूल्य के कार्य हेतु	:	एक अनुभवी सुपरवाइज़र

17. एचसीएल इकाई अनुसूचित दरों पर पंजीकृत होने के इच्छुक ठेकेदारों / फर्मों को अपने कार्यों के एवज में रु.5,000/- की जमानत राशि जमा करनी होगी। इस जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा मामले के अनुसार इसे अगले वर्ष में वापस या पंजीकरण के नवीकरण के साथ अग्रेषित किया जा सकता है। ठेकेदारों / फर्मों द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामलों, इस जमानत राशि से कम्पनी के घाटे का हिसाब कर लिया जाएगा।

18. सभी आवेदनों को निर्धारित फॉर्मैट में भरा जाना चाहिए तथा कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रहना चाहिए। अधूरे आवेदन खारिज किए जा सकते हैं।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

ताम्र भवन

1, आशुतोष चौधुरी एवेन्यू

कोलकाता - 700019

इकाइयाँ - केसीसी/आईसीसी/एमसीपी एवं तालोजा में

सिविल ठेकेदारों/फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

क्र. सं.	विवरण	आवेदक द्वारा दिया गया विवरण
1.	आवेदक का नाम, वर्तमान राष्ट्रीयता एवं पूरा पता	
2.	क्या फर्म एक निजी अथवा सार्वजनिक संस्था है या अविभाजित हिन्दू परिवार, व्यक्तिगत या पार्टनरशिप (साझेदारी) फर्म है। (संबंधित दस्तावेज़ों या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन की प्रमाणीकृत प्रतिलिपियाँ संलग्नित करें)	
3.	मुख्तारनामा (पीओए) रखने वाले व्यक्ति, उनकी वर्तमान राष्ट्रीयता एवं देयता। (संबंधित पार्टनरशिप फर्म के दस्तावेज़ की प्रमाणीकृत प्रतिलिपियाँ संलग्नित करें)	
4.	साझेदारों के नाम, आयु, पूंजी में उनके अंशदान, लाभ में हिस्से एवं देयताओं सहित। (संबंधित पार्टनरशिप फर्म के दस्तावेज़ एवं पंजीकरण, यदि हो तो, की प्रमाणीकृत प्रतिलिपियाँ संलग्नित करें)	
5.	बैंकरों के नाम एवं पूरे पते। वि.द्र. :- बैंकर की रिपोर्ट, मूल प्रतिलिपि, सीलबंद लिफाफे में, जिसमें यह बताया गया हो कि दिए जाने वाले कार्यों को पूरा करने हेतु आवेदक की वित्तीय क्षमता कितनी है।	
6.	कार्य-स्थल	
7.	पंजीकरण हेतु वर्ग एवं श्रेणी	
8.	एचसीएल की संबंधित इकाई की अनुसूचित दरों पर पंजीकृत होने के इच्छुक हैं है कि नहीं।	
9.	आवेदक एकमुश्त जमानत राशि करके अग्रिम धन का भुगतान करने से छूट लेने को इच्छुक हैं है कि नहीं या फिर बारम्बार निविदाओं के साथ-साथ अग्रिम धन जमा करना चाहते हैं।	
10.	किए गए कार्यों की सूची :- i) कार्य का नाम ii) किए जाने का वर्ष iii) कार्य का मूल्य iv) किस प्राधिकरण के तहत किया गया	एक अलग पृष्ठ पर प्रदर्शित करें।
11.	वि.द्र. :- एचसीएल के अलावा अन्य विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों में किए गए कार्यों के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों को कार्य करवाने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों से प्रमाणीकृत	

	करवा कर संलग्नित करें। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं हो, तो इसके बारे में स्पष्ट तौर पर बताएँ।	
12.	आवेदक के पास स्थाई रूप से एक इंजीनियरिंग संगठन है कि नहीं, जो कि सभी स्तर पर बड़े कार्य करने को सक्षम है तथा इसके लिए इनके पास पर्याप्त मशीनरी एवं औजार हैं। (संगठन एवं इनकी मशीनरी तथा औजारों के पूरे विवरण दिए जाएँ)	
13.	आवेदक के पास कोई स्नातक इंजीनियर है कि नहीं, जिनके पास सभी स्तरों पर कार्य को सम्हालने का 5 वर्षों से अधिक समय का अनुभव हो।	
14.	आवेदक के पास कोई लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर (पानी का काम करने वाला मिस्त्री) नौकरी पर है कि नहीं। (प्लम्बर के लाइसेंस की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि को सैनिटरी एवं जल-आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा जमा देना होगा)	
15.	आवेदक के पास एक ऐसा वर्कशॉप है कि नहीं जिसमें पर्याप्त लकड़ी, रंग, पॉलिश किए तथा अन्य सामग्रियाँ एवं लोग हैं, जो कि डिज़ाइनर के तौर पर अच्छी तरह से सोची-समझी भवन-निर्माण योजनाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। (उक्त वर्कशॉप का पता एवं पूरे विवरणों को प्रस्तुत करें)	
16.	आवेदक के पास एक ऐसा वर्कशॉप है कि नहीं जिसमें पर्याप्त लकड़ी हो तथा अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर बनाने एवं उनकी पॉलिश करने तथा देखरेख कर सकने में सक्षम लोग हों। (उक्त वर्कशॉप का पता एवं पूरे विवरणों को प्रस्तुत करें)	
17.	आवेदक इस उपक्रम में पंजीकृत है कि नहीं? यदि हाँ, तो किस वर्ग एवं श्रेणी में। यदि किसी अन्य विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों में पंजीकृत है तो किस वर्ग एवं श्रेणी में तथा निविदा मूल्य में प्रतिभागिता की योग्यता प्राप्त हैं?	
18.	आवेदक की किसी फर्म में साझेदारी या शेयरधारिता है, जो कि इस कम्पनी द्वारा पंजीकृत है।	
19.	आवेदक या इनके कोई साझेदार या शेयरधारक सांसद या किसी विधान सभा के विधायक हैं / थे।	
20.	आवेदक के साझेदारों या शेयरधारकों में ऐसा कोई व्यक्ति है कि नहीं, जिसे किसी सरकारी या इस कम्पनी की	

	नौकरी से बर्खास्त किया गया हो।	
21.	आवेदक के पास नौकरी में कोई ऐसा कर्मचारी है कि नहीं, जिसे किसी सरकारी या इस कम्पनी की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो।	
22.	क्या आवेदक या फिर इनके किसी साझेदार या शेयरधारक को किसी सरकारी विभाग / उपक्रम से पहले कभी ठेकेदारों की सूची में से ब्लैकलिस्ट या हटाया गया / अवनत कर निचली श्रेणी में किया गया या फिर आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से प्रतिबंधित / निलंबित किया गया है? (कम्पनी के पास अधिकार है कि वह किसी भी निलंबित, हटाए गए, अवनत अथवा ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदार / फर्म को निविदा नहीं जारी करे।)	
23.	क्या ठेकेदार / फर्म ने इस कम्पनी में पंजीकरण के नियमों का अध्ययन किया है तथा इन्हें मानने के लिए प्रस्तुत है?	
24.	आवेदक के साथ किसी भी क्षमता में काम करने वाले लोगों की सूची या फिर ऐसे निकट के सम्बंधी लोगों की सूची जो कि इस संगठन / मंत्रालय / सरकारी विभाग / उपक्रम के किसी अधिकारी से संबंधित हों। आवेदक को उन लोगों के नाम भी जमा करने होंगे जो कि बाद में नैकरी पर लगे हों। वि.द्र. :- निकट के सम्बंधी लोगों का अर्थ है पति, पत्नी, माता-पिता, संतान एवं नाती-पोते, भाई एवं बहन, चाचा-मामा, बुआ-मौसी एवं चचेरे-ममेरे-मौसेरे-फुफेरे भाई-बहन एवं उनके रिश्तेदार। (उन ठेकेदारों को इस कम्पनी में कार्य करने का हक नहीं है जिनके निकट-सम्बंधी इस कम्पनी में खातालेखन या इंजीनियरिंग या भण्डारों में कार्यरत हों। ठेकेदार / फर्म द्वारा इस शर्त में किसी भी प्रकार की अवहेलना उस ठेकेदार / फर्म को इस संगठन में निषिद्ध कर देगी।)	

<u>घोषणा</u>

1. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम स्वयं को इस कम्पनी में ठेकेदार के तौर पर एक से अधिक नाम से पंजीकृत नहीं करेंगे।

2. क) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस कम्पनी से पिछले दो वर्षो में सेवानिवृत्त नहीं हुआ हूँ। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ना तो मेरे अधीन नौकरी में ऐसा कोई व्यक्ति है है जो कि इस कम्पनी से पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त हुआ हो और ना ही मैं ऐसे किसी व्यक्ति को आगे इस कम्पनी से उनकी सेवानिवृत्ति के दो वर्षो के अंदर नौकरी पर रखूँगा। (व्यक्तिगत नाम पर पंजीकरण लेने वाले लोगों हेतु)।

ख) हम प्रमाणित करते हैं कि हमारा कोई साझेदार / निदेशक इस कम्पनी से पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि ना तो मेरे अधीन नौकरी में ऐसा कोई व्यक्ति है है जो कि इस कम्पनी से पिछले दो वर्षो में सेवानिवृत्त हुआ हो और कम्पनी से पूर्वानुमति लिए बिना ना ही हम किसी व्यक्ति को आगे इस कम्पनी से उनकी सेवानिवृत्ति के दो वर्षो के अंदर नौकरी पर रखेंगे। (लिमिटेड कम्पनियों / पार्टनरशिप फर्मों के नाम पर पंजीकरण लेने वाले लोगों हेतु)।

स्थान : ....

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता)

ई-मेल -

फोन नं. -

मोबाइल नं. -

विशेष टिप्पणी

सभी संबंधित प्रमाण-पत्र इस आवेदन के साथ संलग्नित होने चाहिए।

भवन एवं सड़कों, सैनिटरी एवं जल-आपूर्ति, संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) के तहत पंजीकरण के आवेदन अलग-अलग फॉर्मों में किए जाने चाहिए।

नवीनतम आयकर आंकलन अनुमति प्रमाण-पत्र को आवेदन के साथ भेजें। आयकर अनुमति प्रमाण-पत्र के बिना पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

अप्रयोग्य मदों को काट दें।

सभी संलग्नित कागज़ात पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

ठेकेदार फर्म के पास उनका अपना पी.एफ. कोड होना चाहिए।

ठेकेदार फर्म को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में पंजीकृत होना चाहिए।

पार्ट - ख

(सिविल कार्यों के अलावा)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

में जॉब / वर्क्स के ठेके हेतु पंजीकरण के नियम एवं शर्तें

(सिविल कार्यों के अलावा)

जॉब / वर्क्स के ठेकों हेतु ठेकेदार के तौर पर पंजीकरण के लिए अनुभवी, साधन-सम्पन्न एवं योग्य ठेकेदार एचसीएल की सम्बंधित इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं।

ठेकेदारों को जॉब / वर्क्स के ठेकों की प्रकृति तथा किसी निर्धारित मूल्य तक के कार्य कर सकने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

श्रेणीकरण : जॉब / वर्क्स के ठेकों की बृहद श्रेणी एवं उप-श्रेणियों का वर्णन अनुलग्नक - I में दिया गया है। आवेदकों को अपने आवेदन में स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि वे किस उप-श्रेणी में पंजीकरण कराना चाहते हैं।

वर्गीकरण : किसी निर्धारित मूल्य के जॉब / वर्क्स को पूरा सकने की वित्तीय क्षमता के अनुसार, ठेकेदारों को निम्नलिखित पाँच वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा। आवेदकों को अपने आवेदन में स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि वे किस वर्ग में पंजीकरण कराना चाहते हैं।

टेबल - 1

वर्ग	प्रति ठेके के मूल्य (रु.) के कार्य को पूरा करने की क्षमता के अनुसार
A	1.00 लाख तक
B	1.00 लाख से 5.00 लाख तक
C	5.00 लाख से 10.00 लाख तक
D	10.00 लाख से 25.00 लाख तक
E	25.00 लाख से अधिक

पंजीकरण की वैधता की अवधि : पंजीकरण 2 वर्षों तक वैध रहेगा।

पंजीकरण के लिए आवेदन अनुलग्नक -II में दिया गया है। आवेदन पत्र इकाई प्रमुख को सम्बोधित होना चाहिए।

पंजीकरण के लिए आवेदन को जमा किया जाना : सही तरह से भरे गए पंजीकरण के फॉर्म को बताए गए आवश्यक विवरणों व कागज़ातों एवं गैर-वापसी योग्य आवेदन प्रक्रिया शुल्क (एप्लिकेशन प्रोसेसिंग फीस), जो कि टेबल - 2 में प्रदर्शित है, के साथ संलग्नित कर संबंधित इकाई प्रमुख के पास जमा दें।

पंजीकरण शुल्क : चुने जाने पर, आवेदक को सलाह दी जाएगी कि वो संबंधित दर्जे के अनुसार पंजीकरण शुल्क जमा दे। पंजीकरण के प्रत्येक दर्जे का शुल्क एक उप-श्रेणी के कार्य के लिए होगा। पर, जो आवेदक किसी एक दर्जे के तहत एक से अधिक उप-श्रेणी के कार्य के लिए पंजीकृत होना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित कॉलम (4) में वर्णित अतिरिक्त उप-श्रेणी के तहत गैर-वापसी योग्य अतिरिक्त शुल्क भरना होगा।

टेबल - 2

वर्ग	जॉब/वर्क्स के प्रत्येक ठेके का मूल्य (रु.)	भुगतान-योग्य गैर-वापसी पंजीकरण शुल्क (रु.)	
		प्रयोग्य वर्ग	अतिरिक्त उप-श्रेणी हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
A	1.00 लाख तक	500	250
B	1.00 लाख से 5.00 लाख तक	1000	500
C	5.00 लाख से 10.00 लाख तक	1500	750
D	10.00 लाख से 25.00 लाख तक	2500	1250
E	25.00 लाख से अधिक	5000	2500

अतिरिक्त वर्ग एवं/अथवा उप-श्रेणी को शामिल किया जाना : कोई ठेकेदार अतिरिक्त वर्ग एवं/अथवा उप-श्रेणी को शामिल किए जाने हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक मामले के औचित्य के अनुसार विचार किया जाएगा तथा यदि शामिल किए जाने को अनुमोदन मिले, तो ठेकेदारको संबंधित रकम उक्त वर्ग एवं उप-श्रेणी के लिए निर्धारित रकम को जमा करना होगा।
पंजीकरण शुल्क का भुगतान किसी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक के डी.डी. / पे-ऑर्डर द्वारा पंजीकरण हेतु इच्छित सम्बंधित इकाई के नाम पर निम्नानुसार करना होगा।

<u>खेतडी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) राजस्थान :</u> हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, खेतड़ीनगर (शाखा कोड सं. 1133) या इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कोहिलान नगर (शाखा कोड सं. 481) में भुगतान-योग्य

<u>इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आईसीसी) झारखण्ड :</u> हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मउभण्डार में भुगतान-योग्य।

<u>मलांजखण्ड ताम्र परियोजना (एमसीपी) मध्य प्रदेश :</u> हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम पर, मलांजखण्ड में भुगतान-योग्य।

<u>तालोजा ताम्र परियोजना (टीसीपी) महाराष्ट्र :</u> हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, तालोजा ताम्र परियोजना के नाम पर, पन्वेल / मुंबई में भुगतान-योग्य।

यदि भुगतान नकद द्वारा हो, तो इसे संबंधित इकाई के वित्त विभाग में जमा करके रसीद लें।

यदि किसी कारण से किसी ठेकेदार / फर्म का पंजीकरण आवेदन की श्रेणी से एक श्रेणी कम में पंजीकृत ना हो या फिर ना की जा सकी हो, तो पंजीकरण की रकम या पंजीकरण की रकम में अंतर को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा।

पुन:पंजीकरण / पंजीकरण का नवीकरण : पंजीकरण की वैधता की अवधि की समाप्ति से पहले, पंजीकृत ठेकेदारों को पुन:-पंजीकृत होना होगा। पुन: पंजीकृत होने के लिए, ठेकेदार को क्र.सं. 6 एवं 7 में वर्णित विधि के अनुसार कार्य करना होगा।

यदि पुन:पंजीकरण / पंजीकरण का अनुमोदन मिल जाए, तो ठेकेदार को नवीकरण शुल्क निम्नलिखित तरीके से भरना होगा :

वर्ग	जॉब/वर्क्स के प्रत्येक ठेके का मूल्य (रु.)	भुगतान-योग्य गैर-वापसी पंजीकरण शुल्क (रु.)	
		प्रयोग्य वर्ग	अतिरिक्त उप-श्रेणी हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
A	1.00 लाख तक	500	250
B	1.00 लाख से 5.00 लाख तक	1000	500
C	5.00 लाख से 10.00 लाख तक	1500	750
D	10.00 लाख से 25.00 लाख तक	2500	1250
E	25.00 लाख से अधिक	5000	2500

रु. 3.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों की निविदा सूचनाएँ (ओईएम के अलावा) कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी तथा इनकी प्रतिलिपि पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को भेजी जाएंगी। पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से अनुरोध है कि वे भी नियमानुसार कम्पनी की वेबसाइट पर जाया करें ताकि उन्हें नवीनतम सूचनाएँ मिलती रहें। पर, रु. 10.00 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों की निविदा सूचनाओं को (ओईएम के अलावा), एनआईटी को भी कम्पनी की वेबसाइट के अलावा चुनिंदा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे अपने से संबंधित विभागों (संबंधित इकाइयों के) की सूचनाओं या निविदाओं से सम्पर्क बना कर निविदाओं की जानकारी बनाए रखें। किसी भी पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों को निविदा सूचना नहीं मिलने पर कम्पनी किसी भी प्रकार की शिकायत की सुनवाई नहीं करेगी।

अनुलग्नक - I

वर्ग	उप-श्रेणी	सम्बद्ध इकाई	जॉब/वर्क्स ठेका
1			भूमिगत खनन उपकरण
	1.1	के	भूमिगत खनन उपकरण, जैसे कि - डीटीएक्स क्यूबेक्स मशीन, ग्रैनबाई कार व्हील्स, ईआईएमसीओ लोडर्स, ईआईएमसीओ लोडर बकेट, ईआईएमसीओ लोडर स्पूल वॉल्व, एलएचडी के लिफ्ट आर्म्स, एलएचडी बकेट्स / जेडीटी टब्स, एरियल रोपवे के बकेट्स एवं हैंगरों आदि की मरम्मत/रीकन्डीशनिंग।
	1.2	के	एरियल रोपवे की मरम्मत / रीवैम्पिंग।
		के	ग्रैनबाई कार, लोको फ्रेम्स का फैब्रिकेशन
2.			मेकैनिकल कार्य (जॉब्स)
	2.1	के, आई, एम, टी	पाइपलाइनों की लैगिंग सहित पाइपलाइनों एवं पाइपलाइन सपोर्टो का फैब्रिकेशन, इरेक्शन, खोलना, मरम्मत, तब्दीली (मॉडिफिकेशन) आदि।
	2.2	के, एम	लॉण्डर, एजिटेटर पम्प, प्लैटफॉर्मों जैसे उपकरणों की मरम्मत, तब्दीली, देखरेख (अनुरक्षण)
	2.3	के, एम	कन्वेयर बेल्टों, पुली की लैगिंग की मरम्मत, अनुरक्षण
	2.4	के, आई, एम	रबर लाइनिंग, लेड लाइनिंग, एसिड प्रूफ लाइनिंग, पीवीसी/एफआरपी कार्य एवं ऐसे ही कार्य
	2.5	के, एम	क्रशर, क्रशर हेड, क्रशर की शेलों की लाइनिंग, बॉल मिलों की रबर लाइनिंग तथा हाइड्रो साइक्लोन कोन, क्रशर हेड में धातु के जमाव आदि की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	2.6	के, आई	कूलिंग टावर की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	2.7	के, एम	गियर बॉक्सों, ड्रुनियन आदि की मरम्मत
	2.8	के, आई, एम	गाड़ियों (ट्रकों, जीपों, बस, एम्बुलेन्स, विस्फोटक वैन कार आदि) की मरम्मत / नवीकरण / अनुरक्षण / ओवरहॉलिंग। गाड़ियों एवं हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों के डीज़ल उपकरणों, कैबिन, ग्लास फ्रेमों, दरवाज़ों की मरम्मत / नवीकरण / अनुरक्षण।
	2.9	के, आई, एम	लोडरों के इंजिन ब्लॉकों एवं क्रैंकशाफ्टों, एलएचडी एवं हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों की मरम्मत / नवीकरण / अनुरक्षण
	2.10	के, आई, एम	लोडरों एवं हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों के ट्रान्समिशन/इंजिन की मरम्मत / नवीकरण / अनुरक्षण
	2.11	के, आई, एम	सभी प्रकार के टायरों की रीट्रीडिंग
	2.12	के, आई, एम	लोडरों, डम्परों तथा सभी प्रकार की गाड़ियों टायरों को खोलना, मरम्मत, पुन: फिट करना एवं लगाना
	2.13	के, आई, एम, टी	स्टील एवं तकनीकी संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) का फैब्रिकेशन, इरेक्शन, खोलना, मरम्मत एवं नवीकरण आदि
	2.14	के, आई	स्मेल्टर संयंत्र, रिफाइनरी, एसिड संयंत्र की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	2.15	के, आई, एम	वाटर ट्रीटमेन्ट संयंत्र एवं वाटर इनटेक वेल की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	2.16	के, आई, एम	फ्युअल इन्जेक्शन पम्प एवं इन्जेक्टरों की मरम्मत एवं कैलिब्रेशन
	2.17	के, आई, एम	ईओटी क्रेन की मरम्मत, बदलाव, नवीकरण।
	2.18	एम	डम्प बॉडी, शॉवल बकेट, शॉवल रैक सहित हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों की मरम्मत / नवीकरण / वेल्डिंग।
	2.19	के, आई, एम	हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों के रेडिएटरो / ऑयल कूलरों की मरम्मत
	2.20	के, आई, एम	हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों के स्टार्टरों / ऑल्टरनेटरों / इमर्जेन्सी मोटरों की मरम्मत / नवीकरण

के - केसीसी (खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स)

आई - आईसीसी (इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स)

एम - एमसीपी (मलांजखण्ड ताम्र परियोजना)

टी - टीसीपी (तालोजा ताम्र परियोजना)

वर्ग	उप-श्रेणी	सम्बद्ध इकाई	जॉब/वर्क्स ठेका
	2.21	के, आई, एम	कॉम्प्रेसरों की मरम्मत / नवीकरण / अनुरक्षण
	2.22	एम	हेवी अर्थ मूविंग उपकरणों के हाइड्रॉलिक पुर्जो की मरम्मत / नवीकरण

	2.23	के, आई, एम	अग्निशामक यंत्रों की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	2.24	के, आई, एम	पुर्जों की हीट ट्रीटमेन्ट
	2.25	**टी**	रोलिंग मिलों की मरम्मत / अनुरक्षण / स्थिति पर नज़र रखना
	2.26	**टी**	रोल / कास्टिंग व्हील की मरम्मत / अनुरक्षण /
	2.27	**टी**	हीट एक्सचेन्जर प्लेट की सफाई
3.			नवीकरण (रीकन्डीशनिंग)
	3.1	के, आई, एम, टी	हल्की मशीनिंग
	3.2	के, आई, एम, टी	भारी मशीनिंग
	3.3	के, आई, एम, टी	हल्का फैब्रिकेशन
	3.4	के, आई, एम, टी	भारी फैब्रिकेशन
	3.5	के, एम	सबमर्सिबल पम्प
	3.6	के, आई, एम, टी	वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर
4.			इलेक्ट्रिकल कार्य
	4.1	के, आई, एम, टी	इलेक्ट्रिकल उपकरणों, सभी प्रकार की वायरिंग, केबल बिछाने, केबल हटाना, संरचनाओं (स्ट्रक्चरों) की रंगाई की मरम्मत एवं स्थापना / फिटिंग / परिवर्तन / अनुरक्षण
	4.2	के, आई	ईएसपी का प्रचालन एवं अनुरक्षण, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोडों की मरम्मत
	4.3	के, आई, एम, टी	एचटी मोटरों, आर्मेचरों की मरम्मत / रीवाइंडिंग
	4.4	के, एम	एलटी मोटरों, आर्मेचरों की मरम्मत / रीवाइंडिंग
	4.5	के, एम	इलेक्ट्रो मैग्नेटों की मरम्मत / रीवाइंडिंग
	4.6	के, आई, एम, टी	पंखों, कूलरों, एक्सजॉस्ट पंखों आदि की मरम्मत / रीवाइंडिंग
5.			एयर कन्डीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन कार्य
	5.1	के, आई, एम, टी	वेन्टिलेशन सिस्टम सहित सहित सभी प्रकार के एयर कन्डीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन कार्य
6.			रिफ्रैक्ट्री कार्य
	6.1	के, आई	रिफ्रैक्ट्री ब्रिक-कार्य, रीलाइनिंग तथा सभी संबंधित कार्य
7.			मेटेरियल हैण्डलिंग आदि स्किल्ड एवं अनस्किल्ड कार्य
	7.1	के, आई, एम, टी	संयंत्र एवं खानों के अंदर लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग, स्टैकिंग, चार्जिंग, स्क्रीनिंग, रीफिलिंग, रिट्रीविंग, परिवहन आदि तथा मेटेरियल हैण्डलिंग उपकरणों, गाड़ियों, ऊँट-गाड़ी (चालक सहित) आदि को किराए पर देना सहित मेटेरियल हैण्डलिंग का कार्य।
	7.2	के, आई, एम, टी	संयंत्र एवं खान में विभिन्न सामग्रियों की सप्लाई, कलेक्शन, परिवहन एवं अनलोडिंग।
8.			खानों में विकास-कार्य
	8.1	एम	खुली खदानों में ब्लास्ट होल ड्रिलिंग, स्प्लिट होल ड्रिलिंग, प्री-ड्रिल्ड होल्स की फ्लशिंग।
	8.2	के	भूमिगत खानों में लॉग होल / लार्ज डायमीटर होल ड्रिलिंग,/ डायमण्ड ड्रिलिंग।
	8.3	के	भूमिगत खानों में खान विकास एवं संबंधित खनन, रॉक बोल्टिंग एवं रेज़ इक्विपिंग। डिक्लाइन को बढ़ाना/ घटाना
के - केसीसी (खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स) आई - आईसीसी (इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स) एम - एमसीपी (मलांजखण्ड ताम्र परियोजना) टी - टीसीपी (तालोजा ताम्र परियोजना)			
वर्ग	उप-श्रेणी	सम्बद्ध इकाई	जॉब/वर्क्स ठेका
	8.4	एम	खुली खदान में कुल खुदाई का कार्य (ड्रिलिंग, लोडिंग, हॉलिंग, डोज़िंग आदि)
	8.5	एम	खुली खदान में लोडिंग / हॉलिंग का कार्य
	8.6	एम	खुली खदान में विकास कार्य की नपाई
9.			टेलीसंचार
	9.1	के, आई, एम, टी	भूमिगत केबल बिछाना, मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित कुल टेलीसंचार का कार्य

	9.2	के, आई, एम	टेलीफोन एक्सचेन्ड / वायरलेस टेलीफोनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	9.3	के, आई, एम	वॉकी-टॉकी सेट, वीएचएफ वायरलेस उपकरण, रेडियो उपकरण एवं संबंधित उपकरण
10.			कम्प्यूटर
	10.1	के, आई, एम, टी	यूपीएस सहित कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफेरलों को लगाना, नवीकरण, मरम्मत एवं अनुरक्षण
	10.2	के, आई, एम, टी	प्रिंटर रिबन कैसटों / इंक कार्ट्रिजों / टोनरों की रीफिलिंग
11.			गाड़ियों को किराए पर लिया जाना
	11.1	के, आई, एम, टी	जीपों, कारों आदि जैसी हल्की गाड़ियों को किराए पर लेना
	11.2	के, आई	ट्रकों, बस एवं अन्य डीज़ल उपकरणों आदि जैसी भारी गाड़ियों को किराए पर लेना
12.			सामग्री परीक्षण (टेस्टिंग ऑफ मैटेरियल्स)
	12.1	के	वाइंडर की वायर रोप, एरियल रोपवे आदि का परीक्षण
13.			बायलर एवं पावर प्लांट की मरम्मत / अनुरक्षण
	13.1	के, आई	सभी प्रकार के बॉयलरों, टरबाइन, बोलोवर के अनुरक्षण का कार्य
	13.2	के, आई	पावर प्लांट की मरम्मत / अनुरक्षण
14.			इन्स्ट्रुमेन्टेशन (उपकरण संबंधी)
	14.1	के, आई, एम, टी	सभी प्रकार के इन्स्ट्रुमेन्टेशन तथा उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की मरम्मत / अनुरक्षण
	14.2	के, आई, एम, टी	फोटोकॉपींग मशीन एवं फैक्स मशीन की मरम्मत / अनुरक्षण
	14.3	के, आई, एम	अस्पताल के सभी उपकरणों की मरम्मत / अनुरक्षण
15.			सलाहकारिता सेवा
	15.1	के, आई, एम, टी	पर्यावरण लेखा-परीक्षण / विश्लेषण / हवा की गुणवत्ता, धूल, धुंआ पर नज़र रखना
	15.2	के, आई, एम, टी	ऊर्जा लेखा-परीक्षण
	15.3	के, आई, एम, टी	संयंत्रों, खानों में तकनीकी लेखा-परीक्षण
	15.4	के, आई, एम, टी	प्रबंधन सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षम
	15.5	के, आई, एम, टी	वित्तीय लेखा-परीक्षण
16.			सुरक्षा सेवाएँ
	16.1	के, आई, एम, टी	खानों, संयंत्रों, टाउनशिप एवं संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा सेवाएँ
17.			विविध कार्य
	17.1	के, आई, एम, टी	विभिन्न रिकॉर्डो (बहियों) की बाइण्डिंग
	17.2	के, आई, एम, टी	कार्यालय, संयंत्र, टाउनशिप में झाड़ू एवं सफाई कार्य
	17.3	आई	साइकल / स्कूटर / मोटरसाइकल स्टैण्ड को चलाना
	17.4	के, आई, एम	फ्रैंकिग मशीन की मरम्मत एवं अनुरक्षण
	17.5	के, आई, एम	अस्पताल एवं गेस्ट हाउस के कपड़ों की धुलाई
	17.6	टी	कैन्टीन सेवाएँ
	17.7	के, आई, एम, टी	कुरियर सेवाएँ
	17.8	के, आई, एम	कैन्टीन एवं अस्पताल में सब्जियों की सप्लाई

के - केसीसी (खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स)
आई - आईसीसी (इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स)
एम - एमसीपी (मलांजखण्ड ताम्र परियोजना)
टी - टीसीपी (तालोजा ताम्र परियोजना)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

ताम्र भवन

1, आशुतोष चौधुरी एवेन्यू

कोलकाता - 700019

इकाइयाँ - केसीसी/आईसीसी/एमसीपी एवं तालोजा में

जॉब्स / कार्य ठेकों हेतु ठेकेदारों / फर्मों के पंजीकरण (सिविल जॉब्स / कार्य के अलावा) हेतु आवेदन-पत्र

क्र. सं.	विवरण	आवेदक द्वारा भरे जाने योग्य सूचना		
1.	आवेदक का नाम एवं पता			
2.	फर्म का प्रकार (प्राइवेट लि. / पब्लिक लि. / पार्टनरशिप / प्रोपराइटरशिप) (इसका कागज़ाती प्रमाण संलग्नित करें)			
3.	मुख्तारनामा (पीओए) रखने वाले लोगों के नाम (पीओए की प्रतिलिपि संलग्नित करें)			
4.	साझेदारों (यदि पार्टनरशिप हो) / निदेशकों (यदि लिमिटेड कम्पनी हो) के नाम			
5.	पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों / ठेकों की सूची (आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्नित करें)	पहले वर्ष	दूसरे वर्ष	तीसरे वर्ष
	i) कार्य की प्रकृति			
	ii) कार्य का वर्ष			
	iii) कार्य का मूल्य (रु.)			
	iv) उस कम्पनी / संगठन का नाम, जिनके तहत कार्य किया हो			
	v) पिछले तीन वर्ष में सर्वाधिक मूल्य का किया गया कार्य			
	vi) पीएफ पंजीकरण सं.			
	vii) पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नोवर			
	निम्नलिखित कागज़ाती प्रमाण संलग्नित करें : वर्क ऑर्डर की प्रतिलिपियाँ जिस संगठन के लिए कार्य किया हो, उससे वर्क कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पिछले तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित खाता की प्रतिलिपियाँ			
6.	किस वर्ग / श्रेणी में पंजीकरण चाहते हैं			
7.	आवेदक के बैंकर का नाम एवं पूरा पता (बैंकर का प्रमाण-पत्र / सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट को एक सीलबंद			

	कवर में आवेदन के साथ संलग्नित करें)			
8.	पैन सं. बिक्री कर पंजीकरण सं. वैट पंजीकरण सं. (कृपया कागज़ाती प्रमाण दें)			
9.	संगठन का चार्ट (कृपया अलग पृष्ठ पर बना कर जमा करें)			
10.	आवेदक के पास औजार एवं यंत्रों की सूची (कृपया अलग पृष्ठ पर बना कर जमा करें)			
11.	योग्यता एवं अनुभवी कार्मिकों की सूची (कृपया अलग पृष्ठ पर बना कर जमा करें)			
12.	क्या आवेदक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की अन्य किसी इकाई में पंजीकृत है (कृपया कागज़ाती प्रमाण दें)			
13.	क्या आवेदक किसी अन्य सरकारी उपक्रम / सरकारी विभाग में पंजीकृत है (कृपया पंजीकरण के अनुसार वर्ग/ श्रेणी तथा वित्तीय क्षमता के कागज़ाती प्रमाण दें)			
14.	क्या आवेदक किसी ऐसी फर्म में साझेदार / शेयरधारक है जो कि पहले से एचसीएल में पंजीकृत है। यदि हाँ, तो उस फर्म का नाम बताएँ।			
15.	क्या आवेदक या उनके किसी साझेदार को एचसीएल या किसी सरकारी उपक्रम या सरकारी विभाग में ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित / निषिद्ध किया गया है । यदि हाँ, तो विवरण दें।			
16.	क्या आवेदक के पास ऐसी स्थाई इंजीनियरिंग व्यवस्था है, जो कि बड़े स्तर के जॉब/ ठेके को पूरा कर सकने में सक्षम हो।			
17.	क्या आवेदक के पास सांविधिक लाइसेंस हैं, जैसे कि- इलेक्ट्रिकल ठेकेदार / सुपरवाइज़र का लाइसेंस आदि।			
18.	एचसीएल में आवेदक के किसी कार्यरत रिश्तेदार का विवरण, इकाई स्तर पर कार्य-स्थल, कोड सं. सहित।			

नियम एवं शर्तें :

1. ठेकेदार / फर्म के पास अपना पीएफ कोड होना चाहिए।

2. एचसीएल यह अधिकार रखती है कि वह किसी भी आवेदन को बिना किसी स्पष्टीकरण के कोई भी आवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर सके या आवेदन के अनुसार या परे भी कोई वर्ग या श्रेणी आवेदक को आबंटित कर सके।

3. पंजीकृत सूचीबद्ध होना आवेदक को इस बात की गारंटी नहीं देता है कि उन्हें निविदाओं की जानकारी जारी होगी।

4. जब भी वेण्डर को कोई निर्दिष्ट निविदा कागज़ात जारी होंगे तो उस ठेकेदार / फर्म को उनमें उल्लिखित निविदा शर्तों को पूरा करना होगा।

5. सूचीबद्ध रहने की अवधि सामान्यतया 3 वर्षों तक वैध रहती है। पर, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) एचसीएल यह अधिकार रखती है कि वह किसी भी वेण्डर को इस सूची से वैधता की अवधि से पहले ही गैर- सूचीबद्ध कर सके।

6. सूचीबद्ध होने से किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि उसे किसी दूसरे की तुलना में उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाए और ना ही किसी सूचीबद्ध वेण्डर को कोई ठेका मिलने का अधिकार मिलेगा।

7. ठेकेदार / फर्म को राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआई) में पंजीकृत होना होगा।

घोषणा :

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम स्वयं को इस कम्पनी में ठेकेदार के तौर पर एक से अधिक नाम से पंजीकृत नहीं करेंगे। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त सूचना सही है तथा उपरोक्त सूचना के सत्य नहीं होने पर मैं/हम कम्पनी (हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड) को उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति दोषमुक्त रखेंगे।

आवेदक का हस्ताक्षर आधिकारिक मुहर सहित

ई-मेल :

सम्पर्क फोन नं.

वि.द्र. : क) आवेदक को सभी कागज़ात पर हस्ताक्षर करना होगा।

ख) उपरोक्त सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र / कागज़ात को आवेदन के साथ संलग्नित करना होगा।